

FORM II
(for projects other than linear projects)
Government Of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. MND/LRC/2018

Dated Mandi, the 07.09.2018

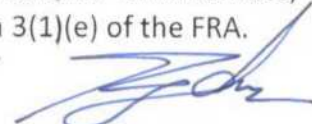
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.2683 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Cliff Finvest Pvt. Ltd. Faridabad for the purpose of Thaltukhod HEP Stage 1** in Mandi District falls within jurisdiction of muhal Khariyan, in Tehsil Padhar.

It is further certified that:

- (a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 2.2683 Hectare** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The proposal of such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA has been carried out, and They have given their consent to the proposed Diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabhas of said Tehsils are enclosed as annexure V.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there is quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabha present.
- (e) There is no PTG and PAC in the jurisdiction of Mandi District.
- (f) The Rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable has been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above.


(Rugved Thakur, I.A.S)
District Collector,
Mandi Distt. Mandi

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Kharayan Gram Sabha, claiming rights in Kharayan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Kharayan _____

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

OR

As informed by Kharayan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Kharayan forest area.

Place Padhar

Date 06.12.16

SDO (Civil) Chairman/Chairperson
Padhar, District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

H.H.H.

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(s) of the applicants of Kharyan Gram Sabha, claiming rights in Kharyan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Kharyan _____

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Kharyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Kharyan forest area.

Place Padhar

Date 06.12.16

SDO (Civil) Padhar (Chairperson)
Padhar, District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

ASHISH

वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO (Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(s) of the applicants of Kharyan Gram Sabha, claiming rights in Kharyan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Kharyan Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Kharyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Kharyan forest area.

Place PadharDate 06.12.16

SDO (Civil) Chairman/Chairperson
Padhar, District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Atul

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Kharyan Gram Sabha, claiming rights in Kharyan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Kharyan _____ Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Kharyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Kharyan forest area.

Place Padhar

Date 06.12.16

SDO (Civil) Chairman/Chairperson
Padhar, District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Ashish

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

h

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Kharyan Gram Sabha, claiming rights in Kharyan forest area under FRA,2006, duly processed and recommended by the Kharyan

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Kharyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Kharyan forest area.

Place Padhar

Date 06.12.16

Dr. Ashish Sharma
SDO (Civil) Chairman (FRA)
Padhar, District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Ashish

अति. निवा. सहायिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)
6

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति २०२५।०।

मुहाल/ग्राम सभा २०२५।०।

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या २

दिनांक ०५.०९.२०१७

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा २०२५।०। की बैठक आज दिनांक

०५.०९.१७ को ११:०० बजे स्थान २०२५।०। में श्री/ श्रीमति री.श.न. लाल

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें २०२५।०। ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत २०२५।०।

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका निजिबेर डाक्टर लि. कश्वाबा विभाग/संस्था

वन विद्युत परियोजना** चण्डेश्वर रोड - १ के निर्माण के लिए

२.२०९३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए मुहाल/ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	२०२५।०।	२०२५।०।	मुहाल २०२५।०।
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

२०२५।०। मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान २०२५।०।

दिनांक ०५.०९.२०१७.

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
तः वन अधिकार समिति
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Atkjh

पंचायत सचिव

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, तः० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - २०२५०७

ग्राम पंचायत - ७५५५०७

मुहाल सभा सदस्य संख्या - २७०

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - १५०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक ०५.०८.२०१७

प्रस्ताव संख्या १

मुहाल/ग्राम सभा २०२५०७ की बैठक आज दिनांक ०५.०८.२०१७ को ११:०० बजे स्थान २०२५०७ में श्री/ श्रीमति २०२५०७ की अध्यक्षता में की गई। जिसमें २०२५०७ गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें २०२५०७ वि.नं. ५५५५२ लि. ७५५५०७ विभाग/संस्था २०२५०७ के निर्माण के लिए २.२६.२३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवेदों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम -	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
१	२०२५०७	२०२५०७	२०२५०७

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल २०२५०७ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान २०२५०७

दिनांक ०५.०८.२०१७

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

६

वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत धमच्याण

विकास खण्ड दंडा जिला मण्डो हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05.08.2017

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 150/270

विषय : कलिका फिनिटेड प्राइवेट लि० फरिदाबाद विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना अल्ट्रा रिवर रे-2A-1 के निर्माण हेतु र०र०रा०
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति
प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा र०र०रा० की बैठक आज दिनांक 05.08.2017
को 11:00 बजे, स्थान र०र०रा० में की गई, जिसमें कलिका फिनिटेड प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्ट्रा रिवर रे-2A-1
के निर्माण हेतु र०र०रा० जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों
को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त
प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही
है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि को कलिका फिनिटेड प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्ट्रा रिवर रे-2A-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम
सभा र०र०रा० की सहमति दी जाती है।

स्थान र०र०रा०

दिनांक 05.08.2017

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुख्य ग्राम सभा मण्डो हि०प्र०

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
बि०रा० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति २०२५/०१

मुहाल/ग्राम सभा २०२५/०१

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या २

दिनांक ०५.०८.२०१७

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा २०२५/०१ की बैठक आज दिनांक

०५.०८.१७ को ११:०० बजे स्थान २०२५/०१ में श्री/ श्रीमति री.श.न. लाल

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें २०२५/०१ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत २०२५/०१

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कालिका निजैर प्रोटेक्ट लि. कालिका विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना** चण्डेश्वर रोड - २ के निर्माण के लिए

२.२०८३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	२०२५/०१	२०२५/०१	मुहाल २०२५/०१
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है या

२०२५/०१ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान २०२५/०१

दिनांक ०५.०८.२०१७

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

DRH

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पथर
जिला मण्डी (हि.प्र.)

Atish

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - २०२५१०

ग्राम पंचायत - ७३५५१०

मुहाल सभा सदस्य संख्या - २७०

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - १५०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या १

दिनांक ०५.०३.२०१७

मुहाल/ग्राम सभा - २०२५१० की बैठक आज दिनांक - ०५.०३.२०१७ को - ११:०० बजे स्थान - २०२५१० में श्री/ श्रीमति - सुखन खल की अध्यक्षता में की गई। जिसमें - २०२५१० गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका विन्डिटर प्राविट लि. फरिदाबाद विभाग/संस्था तार विद्युत परियोजना अहमदपुर रिज - १ के निर्माण के लिए २.२६३.३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०व०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
१	२०२५१०	२०२५१०	मुहाल २०२५१०

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है ।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०स०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल - २०२५१० में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान - २०२५१०

दिनांक - ०५.०३.२०१७

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत रामगढ़

विकास खण्ड हंसा जिला मण्डी हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05.08.2017

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 150/270

विषय : कलिक फिनिशर प्राइवेट लि० फरिदाबाद विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना आर्द्रता 2-2-1 के निर्माण हेतु रामगढ़
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति
प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा रामगढ़ की बैठक आज दिनांक 05.08.2017
को 11:00 बजे, स्थान रामगढ़ में की गई, जिसमें कलिक फिनिशर प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना आर्द्रता 2-2-1
हंसा - I के निर्माण हेतु रामगढ़ जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

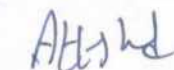
सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों
को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त
प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही
है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि को कलिक फिनिशर प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना आर्द्रता 2-2-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम
सभा रामगढ़ की सहमति दी जाती है।

स्थान रामगढ़

दिनांक 05.08.2017


अधिकृत हस्ताक्षर
मुहाल/ग्राम सभा मण्डी हि०प्र०


पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)


वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति २०२५।०।

मुहाल/ग्राम सभा २०२५।०।

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या २

दिनांक ०५.०८.२०१७

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा २०२५।०। की बैठक आज दिनांक

०५.०८.१७ को ११:०० बजे स्थान २०२५।०। में श्री/ श्रीमति शि.श.न. लाल

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें २०२५।०। ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत २०२५।०।

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कालिका निम्नलिखित प्रान्त लि. फरिदाबाद विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना** बांधुखोरा रेल - २ के निर्माण के लिए

२.२०८३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	२०२५।०।	२०२५।०।	मुहाल २०२५।०।
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

२०२५।०। मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान २०२५।०।

दिनांक ०५.०८.२०१७

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
तः वन अधिकार समिति
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Atul

जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला दण्डाधिकारी (हि.प्र.)

Atul

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत रामधारा

विकास खण्ड दंडा जिला मण्डी हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05.08.2017

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 150/270

विषय : कलिका फिनिश्ट प्राइवेट लि० फरिदाबाद विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना अलदुल्लाह रेला-1 के निर्माण हेतु रामधारा
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति
प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा रामधारा की बैठक आज दिनांक 05.08.2017
को 11:00 बजे, स्थान रामधारा में की गई, जिसमें कलिका फिनिश्ट प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अलदुल्लाह रेला-1
के निर्माण हेतु रामधारा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों
को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त
प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही
है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि को कलिका फिनिश्ट प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अलदुल्लाह रेला-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम
सभा रामधारा की सहमति दी जाती है।

स्थान रामधारा

दिनांक 05.08.2017

(Signature)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुहाल/ग्राम सभा मण्डी हि0प्र0

(Signature)

वर्ति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

(Signature)

(Signature)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति २०२५/०१

मुहाल/ग्राम सभा २०२५/०१

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या २

दिनांक ०५.०८.२०१७

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा २०२५/०१ की बैठक आज दिनांक

०५.०८.१७ को ११:०० बजे स्थान २०२५/०१ में श्री/ श्रीमति शि.श.न. जाल

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें २०२५/०१ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत २०२५/०१

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें टालिफ लिनिवेट डालिफ लि. फरिदकोट विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना** बाइसोड रीजन - २ के निर्माण क लिए

२.२०३३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासीयो के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	२०२५/०१	२०२५/०१	मुहाल २०२५/०१
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

२०२५/०१ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान २०२५/०१

दिनांक ०५.०८.२०१७

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा
अधिकृत/हस्ताक्षरकर्ता
त० वन अधिकार समिति
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
चिखडो दंग, त० पथर
जिला मण्ड (हि०प्र०)

वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - २०२५१०१

ग्राम पंचायत - ६०५५५१०

मुहाल सभा सदस्य संख्या - २७०

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - १५०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या १

दिनांक ०५.०८.२०१७

मुहाल/ग्राम सभा २०२५१०१ की बैठक आज दिनांक ०५.०८.२०१७ को ११:०० बजे स्थान २०२५१०१ में श्री/ श्रीमति २०२५१०१ की अध्यक्षता में की गई। जिसमें २०२५१०१ गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें २०२५१०१ विभाग/संस्था २०२५१०१ के निर्माण के लिए २०२५१०१ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
१	२०२५१०१	२०२५१०१	२०२५१०१

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल २०२५१०१ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान २०२५१०१

दिनांक ०५.०८.२०१७

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दाबे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

Atchit

जति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत रामगढ़

विकास खण्ड टंड़ी जिला मण्डो हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05.08.2017

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 150/270

विषय : कलिका फिनिश्ट आइलेर लि० फरिदाबाद विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना अल्लुरेड-2 के निर्माण हेतु रामगढ़
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.2683 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति
प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा रामगढ़ की बैठक आज दिनांक 05.08.2017
को 11:00 बजे, स्थान रामगढ़ में की गई, जिसमें कलिका फिनिश्ट आइलेर लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्लुरेड-2
स्टेज-I के निर्माण हेतु रामगढ़ जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.2683
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों
को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त
प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही
है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.2683 हैक्टेयर वन भूमि को कलिका फिनिश्ट आइलेर लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्लुरेड-2 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम
सभा रामगढ़ की सहमति दी जाती है।

स्थान रामगढ़

दिनांक 05.08.2017

प्रधान
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सं. तहसील विकास
मुख्य प्रशासक सभा मण्डो हि०प्र०

प्रधान
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

हस्ताक्षर
कति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति २०२५/०१

मुहाल/ग्राम सभा २०२५/०१

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या १

दिनांक ०५.०९.२०१७

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा २०२५/०१ की बैठक आज दिनांक

०५.०९.१७ को ११:०० बजे स्थान २०२५/०१ में श्री/श्रीमति री.श.न. जाल

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें २०२५/०१ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत २०२५/०१

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका निम्नैर उल्लेख लि. कलिका विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना** यल्लुखो रेखा - १ के निर्माण क लिए

२.२०९३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	२०२५/०१	२०२५/०१	मुहाल २०२५/०१
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

२०२५/०१ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान २०२५/०१

दिनांक ०५.०९.२०१७

मुहाल सभा -

ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

अधिका

जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

4

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - २०२५०७

ग्राम पंचायत - ६३३५०७

मुहाल सभा सदस्य संख्या - २७०

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - १५०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या १

दिनांक ०५.०३.२०१७

मुहाल/ग्राम सभा --- २०२५०७ --- की बैठक आज दिनांक --- ०५.०३.२०१७ --- को --- ११:०९ --- बजे स्थान --- २०२५०७ --- में श्री/ श्रीमति --- सुश्री राजा --- की अध्यक्षता में की गई। जिसमें --- २०२५०७ --- गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें क.पि.पि. नि.नै.५२ प्लॉट २ लि. ७२६०.७६ विभाग/संस्था ज.स. विद्युत परियोजना शुरुआत २०१५-१६ के निर्माण के लिए २.२६३.३३ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
१	२०२५०७	२०२५०७	मुहाल २०२५०७

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल --- २०२५०७ --- में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान --- २०२५०७ ---

दिनांक --- ०५.०३.२०१७ ---

(सुश्री राजा)
(पंचायत समिति सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

सुश्री राजा
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

सुश्री राजा
जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत रामधारा

विकास खण्ड हिंग जिला मण्डो हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05.08.2017

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 150/270

विषय : कलिक फिनेलेट प्राइवेट लि० फरिदाबाद विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना अल्लुल्लेड रेखा-1 के निर्माण हेतु रामधारा
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति
प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा रामधारा की बैठक आज दिनांक 05.08.2017
को 11:00 बजे, स्थान रामधारा में की गई, जिसमें कलिक फिनेलेट प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्लुल्लेड रेखा-1
के निर्माण हेतु रामधारा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2.26.83
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों
को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त
प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही
है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 2.26.83 हैक्टेयर वन भूमि को कलिक फिनेलेट प्राइवेट लि०
फरिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्लुल्लेड रेखा-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम
सभा रामधारा की सहमति दी जाती है।

स्थान रामधारा

दिनांक 05.08.2017

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुख्य ग्राम सभा हि0प्र0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डो (हि0प्र0)

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि प्र.)

FORM II
(for projects other than linear projects)
Government Of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. MND/LRC/2018

Dated Mandi, the 07.09. 2018

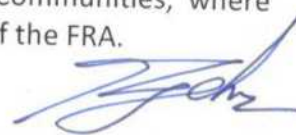
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.0734 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Cliff Finvest Pvt. Ltd. Faridabad for the purpose of Thaltukhod HEP Stage 1** in Mandi District falls within jurisdiction of muhal Cheling, in Tehsil Padhar.

It is further certified that:

- (a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.0734 Hectare** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The proposal of such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA has been carried out, and They have given their consent to the proposed Diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabhas of said Tehsils are enclosed as annexure V.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there is quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabha present.
- (e) There is no PTG and PAC in the jurisdiction of Mandi District.
- (f) The Rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable has been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above.


(Rugved Thakur, I.A.S)
District Collector,
Mandi Distt. Mandi

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Cheling Gram Sabha, claiming rights in Cheling forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Cheling _____ Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.	—	—	—

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.	—	—	—

OR

As informed by Cheling Gram Sabha, no application was received claiming rights in Cheling forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
SDO (Civil) - chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Atul
बति० विला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Cheling Gram Sabha, claiming rights in Cheling forest area under FRA,2006, duly processed and recommended by the Cheling Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Cheling Gram Sabha, no application was received claiming rights in Cheling forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
SDO (Civil) - chairman/chairperson
District Mandi, H.P.

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Atbhl

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

L

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Cheling Gram Sabha, claiming rights in Cheling forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Cheling _____ Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

OR

As informed by Cheling Gram Sabha, no application was received claiming rights in Cheling forest area.

Place PadharDate 06-12-16

SDO (Civil) - chairman/chairperson
District Mandi

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Atul

बलि० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

Li

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Cheling Gram Sabha, claiming rights in Cheling forest area under FRA,2006, duly processed and recommended by the Cheling Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Cheling Gram Sabha, no application was received claiming rights in Cheling forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
SDO (Civil) - chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Atch 24

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

L

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Cheling Gram Sabha, claiming rights in Cheling forest area under FRA,2006, duly processed and recommended by the Cheling _____

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

OR

As informed by Cheling Gram Sabha, no application was received claiming rights in Cheling forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
SDO (Civil), chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Ashish

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

4

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत चेलिग

विकास खण्ड डुंग जिला मण्डो हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 04.01.2018

प्रस्ताव संख्या 1

गणपूर्ति : 70 / 108

विषय : कालिका फिनिशियर प्राइवेट लि० फरीदाबाद विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना थल-रूखन स्टेशन-1 के निर्माण हेतु चेलिग

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा चेलिग की बैठक आज दिनांक 04.01.18

को 11:00 बजे, स्थान चेलिग में की गई, जिसमें कालिका फिनिशियर प्राइवेट लि०

फरीदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना थल-रूखन

स्टेशन-1 के निर्माण हेतु चेलिग जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0734

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिशियर प्राइवेट लि०

फरीदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना थल-रूखन स्टेशन-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम

सभा चेलिग की सहमति दी जाती है।

स्थान चेलिग

दिनांक 04.01.2018

बुलगाबाई
सचिव
ग्राम पंचायत समिति मुहाल चेलिग
उप-तहसील टिकन
तहसील मण्डो जिला मण्डो हि0प्र0
मुहाल/ग्राम सभा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमव्याण
वि0खण्ड डुंग तहसील मण्डो
जिला मण्डो (हि0प्र0)

Atish
जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - चैलिङग्राम पंचायत - होश 22/1/11

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 102

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 70

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक 04.01.2018

मुहाल/ग्राम सभा - चैलिङ की बैठक आज दिनांक 04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान - चैलिङ में श्री/श्रीमति बिहार सिंह की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चैलिङ गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें चैलिङ विभाग/संस्था वन विभाग परजोतना गठबन्धन के निर्माण के लिए 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र0व0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
--------	------------------------------	-------------	---------------------

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0स0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
--------	------------------------------

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल चैलिङ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान - चैलिङ

दिनांक - 04.01.2018

(प्रदीप)
(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत घमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डो (हि0प्र0)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(प्रदीप)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डो (हि0प्र0)

(अतुल)
बति0 जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति चेलिङ

मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 04.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ की बैठक आज दिनांक

04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चेलिङ में श्री/श्रीमति जोहार सिंह

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चेलिङ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत चेलिङ

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका विनवेर 2 प्राईविट सि.फरीवावाट विभाग/संस्था

गल विद्युत परियोजना गलदुरोई रीट -1 के निर्माण के लिए

0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चेलिङ</u>	<u>चेलिङ</u>	<u>मुहाल चेलिङ</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

चेलिङ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चेलिङ

दिनांक 04.01.2018

प्रधान W. S. M. M. सचिव
वन अधिकार समिति मुहाल चेलिङ
सम-तह-दिवान
तह-अधिकार समिति
तह-पधर जिला मण्डल हि०प्र०
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, तह० पधर
जिला मण्डल (हि०प्र०)

वति० जिला सहायकारी
मण्डल जिला मण्डल (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति चेलिंग

मुहाल/ग्राम सभा चेलिंग

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 04.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा चेलिंग की बैठक आज दिनांक

04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चेलिंग में श्री/श्रीमति लोहार सिंह

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चेलिंग ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत चेलिंग

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका निनवेर 2 प्राईवेट लिफ्टिंग/काटा विभाग/संस्था

वाल विद्युत परियोजना थल दुराई रेडन -1 के निर्माण क लिए

0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए मुहाल/ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र0सं0	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चेलिंग</u>	<u>चेलिंग</u>	<u>मुहाल चेलिंग</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0सं0	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

चेलिंग मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चेलिंग

दिनांक 04.01.2018

सचिव
ग्राम पंचायत धमव्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्ड (हि0प्र0)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल मे वन अधिकार के दाबे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमव्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्ड (हि0प्र0)

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - चैलिङग्राम पंचायत - होम 22/1/1

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 102

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 70

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक 04.01.2018

मुहाल/ग्राम सभा चैलिङ की बैठक आज दिनांक 04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चैलिङ में श्री/श्रीमति बोहर सिंह की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चैलिङ गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें चैलिङ फिनिश 2 प्रॉजेक्ट लि० पुरोदाका विभाग/संस्था न.न. विज्ञान परिकल्पना गैलरी रूरेल - 1 के निर्माण के लिए 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चैलिङ</u>	<u>चैलिङ</u>	<u>मुहाल चैलिङ</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल चैलिङ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चैलिङदिनांक 04.01.2018

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम मुहाल/ग्राम पंचायत
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत बिमल्या

विकास खण्ड डुंग जिला मण्डा हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 04.01.2018

प्रस्ताव संख्या 1

गणपूर्ति : 70/108

विषय : कालिका फिनिशर प्राइवेट लि० फरीदाबाद विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना थल-रेलवे स्टेशन-1 के निर्माण हेतु डेलि

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित डेलि हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा डेलि की बैठक आज दिनांक 04.01.18

को 11:00 बजे, स्थान डेलि में की गई, जिसमें कालिका फिनिशर प्राइवेट लि०

फरीदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना थल-रेलवे
स्टेशन-1 के निर्माण हेतु डेलि जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0734

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिशर प्राइवेट लि०

फरीदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना थल-रेलवे निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम

सभा डेलि की सहमति दी जाती है।

स्थान डेलि

दिनांक 04.01.2018

प्रधान हमसा सचिव
बनाधिकार समिति मुहाल डेलि
उप-प्रधान हमसा
अधिकृत हमसा
त0 पघर जिला मण्डा हि0प्र0
मुहाल/ग्राम सभा

हमसा
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
हि0प्र0 दंग, त0 पघर
जिला मण्डा (हि0प्र0)

हमसा

अति० जिला दण्ड अधिकारी
मण्डा जिला मण्डा (हि.प्र.)

हमसा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति चेलिङ

मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 04.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ की बैठक आज दिनांक

04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चेलिङ में श्री/श्रीमति ओडर सिंह

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चेलिङ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत चेलिङ

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका निम्बे-2 प्राईवेट लिमिटेड विभाग/संस्था

गैल विद्युत परियोजना, गलदुराई रोड -1 के निर्माण के लिए

0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चेलिङ</u>	<u>चेलिङ</u>	<u>मुहाल चेलिङ</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

चेलिङ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चेलिङ

दिनांक 04.01.2018

प्रधान महेश्वर
सचिव महेश्वर
वन अधिकार समिति
मुहाल चेलिङ
सप-तह-दिवान
वन अधिकार समिति
तह-पथर जिला मण्डल हि०प्र०
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

स्थायित सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
बि०ख० दंग, तह० पथर
जिला मण्डल (हि०प्र०)

वति० जिला दंग विकारी
मण्डल जिला मण्डल (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - चैलिङ

ग्राम पंचायत - हाउर 22/01

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 102

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 70

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 04.01.2018

मुहाल/ग्राम सभा चैलिङ की बैठक आज दिनांक 04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चैलिङ में श्री/श्रीमति बिहार सिंह की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चैलिङ गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें चैलिङ विभाग/संस्था वन विभाग परकीतना शब्दिक के निर्माण के लिए 0.0734 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र0व0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चैलिङ</u>	<u>चैलिङ</u>	<u>मुहाल चैलिङ</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0स0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल चैलिङ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चैलिङ

दिनांक 04.01.2018

(Hand)
(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम मुहाल/सभा अध्यक्ष
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(Hand)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

Hand
बति0 जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत बिमट्यावा

विकास खण्ड डुंग जिला मण्डो हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 04.01.2018

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 70 / 108

विषय : कालिका फिनिक्स प्रॉवैड लि. फरीदाबाद विभाग / संस्था

वन विद्युत परियोजना थल-रैलवे स्टेशन-1 के निर्माण हेतु डेलि

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित डेलि हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा डेलि

की बैठक आज दिनांक 04.01.18

को 11:00 बजे, स्थान डेलि

में की गई, जिसमें कालिका फिनिक्स प्रॉवैड लि.

फरीदाबाद

विभाग / संस्था को वन विद्युत परियोजना थल-रैलवे

स्टेशन-1 के निर्माण हेतु

डेलि

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0734

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि को

कालिका फिनिक्स प्रॉवैड लि. विभाग / संस्था को वन विद्युत परियोजना थल-रैलवे के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम

सभा डेलि की सहमति दी जाती है।

स्थान डेलि

दिनांक 04.01.2018

ब्रह्मान हलमस सचिव
बनाधिकार समिति मुहाल डेलिग
उप-तहसील टिकन
अधीनस्थ हस्ताक्षरकर्ता
तहसील मण्डो हि0प्र0
मुहाल/ग्राम सभा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, तह0 पधर
जिला मण्डो (हि0प्र0)

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति चेलिङ

मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 04.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ की बैठक आज दिनांक

04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चेलिङ में श्री/श्रीमति खोहर सिंह

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चेलिङ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत चेलिङ

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका निनवे-2 प्राइवेट लिमिटेड विभाग/संस्था

गैल विद्युत परियोजना, गलदुराई रोड -1 के निर्माण के लिए

0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र0सं0	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चेलिङ</u>	<u>चेलिङ</u>	<u>मुहाल चेलिङ</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0सं0	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

चेलिङ

मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

गुलाबदास

सचिव

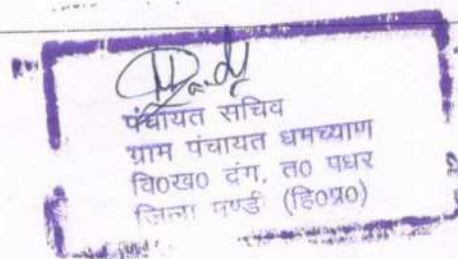
स्थान चेलिङ

प्रधान गुलाबदास
वन अधिकार समिति मुहाल चेलिङ
सम-गुलाबदास
त0 पधर जिला मण्डो हि0प्र0
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

दिनांक 04.01.2018

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - चैलिङग्राम पंचायत - होय 22/01

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 102

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 70

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक 04.01.2018

मुहाल/ग्राम सभा चैलिङ की बैठक आज दिनांक 04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चैलिङ में श्री/श्रीमति जोहर सिंह की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चैलिङ गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें चैलिङ विभाग/संस्था वन विभाग परकीतना गठबन्धन के निर्माण के लिए 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र0व0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चैलिङ</u>	<u>चैलिङ</u>	<u>मुहाल चैलिङ</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0स0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल चैलिङ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चैलिङदिनांक 04.01.2018

(Handwritten Signature)
(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम मुख्यालय धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्ड (हि0प्र0)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(Handwritten Signature)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्ड (हि0प्र0)

(Handwritten Signature)
बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्ड (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायतचेलिग.....

विकास खण्डडुंग..... जिलामण्डो..... हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक04.01.2018.....

प्रस्ताव संख्या1.....

गणपूर्ति : 70 / 108

विषय :कालिका फिनिक्स प्राइवेट लि० फरीदाबाद..... विभाग/संस्था

.....जल विद्युत परियोजना थल-रेलवे स्टेशन-1 के निर्माण हेतु चेलिग.....

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभाचेलिग..... की बैठक आज दिनांक 04.01.18

को 11:00 बजे, स्थानचेलिग..... में की गई, जिसमें कालिका फिनिक्स प्राइवेट लि०

.....फरीदाबाद..... विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना थल-रेलवे
.....स्टेशन-1 के निर्माण हेतुचेलिग..... जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0734

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिक्स प्राइवेट लि०

.....फरीदाबाद..... विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना थल-रेलवेस्टेशन-1 हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभाचेलिग..... की सहमति दी जाती है।

स्थानचेलिग.....

दिनांक04.01.2018.....

प्रधान [Signature] सचिव
बनाधिकार समिति मुहाल चेलिग
उप-प्रधान [Signature]
अधिकृत, हस्ताक्षरकर्ता
त0 पधर जिला मण्डो हि0प्र0
मुहाल/ग्राम सभा.....

[Signature]
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
जिला मण्डो

[Signature]
अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति चेलिङ

मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 04.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ की बैठक आज दिनांक

04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चेलिङ में श्री/श्रीमति लोहार सिंह

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चेलिङ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत चेलिङ

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिका विनवेर 2 प्राईवेट लिफ्टिंग विभाग/संस्था

गैल विद्युत परियोजना गल दुरवेर रेरेन -1 के निर्माण के लिए

0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चेलिङ</u>	<u>चेलिङ</u>	<u>मुहाल चेलिङ</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

चेलिङ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चेलिङ

दिनांक 04.01.2018

सचिव
ग्राम पंचायत मुहाल चेलिङ
सम-ग्राम दिवस
वन अधिकार समिति
त० पधर जिला मण्डी हि०प्र०
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - चैलिङग्राम पंचायत - होम 22/1/11

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 102

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 70

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक 04.01.2018

मुहाल/ग्राम सभा चैलिङ की बैठक आज दिनांक 04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चैलिङ में श्री/श्रीमति जोहर सिंह की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चैलिङ गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कैलिङ विभाग/संस्था वन विभाग परिक्रान्त गलुङ्ग के निर्माण के लिए 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र0व0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>चैलिङ</u>	<u>चैलिङ</u>	<u>मुहाल चैलिङ</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0स0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल चैलिङ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चैलिङ

दिनांक 04.01.2018

(जोहर सिंह)
(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम मुख्यालय धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्ड (डि0प्र0)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(जोहर सिंह)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्ड (डि0प्र0)

जोहर सिंह
जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला (र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत धमच्याण

विकास खण्ड डुंग जिला मण्डी हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 04.01.2018

प्रस्ताव संख्या 1

गणपूर्ति : 70 / 108

विषय : कालिका फिनिक्स प्राइवेट लि. फरीदाबाद विभाग/संस्था

एन विद्युत परिकल्पना थल-रेलवे स्टेशन-1 के निर्माण हेतु चेरिंग

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा चेरिंग की बैठक आज दिनांक 04.01.18

को 11:00 बजे, स्थान चेरिंग में की गई, जिसमें कालिका फिनिक्स प्राइवेट लि.

फरीदाबाद विभाग/संस्था को एन विद्युत परिकल्पना थल-रेलवे स्टेशन-1 के निर्माण हेतु चेरिंग

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0734

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0734 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिक्स प्राइवेट लि.

फरीदाबाद विभाग/संस्था को एन विद्युत परिकल्पना थल-रेलवे स्टेशन-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा चेरिंग की सहमति दी जाती है।

स्थान चेरिंग

दिनांक 04.01.2018

ब्रधान धमच्याण
बनाधिकार समिति मुहाल चेरिंग
उप-तहसील डुंग
तहसील डुंग जिला मण्डी हि0प्र0
मुहाल/ग्राम सभा चेरिंग

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
डुंग, तहसील
मण्डी (हि0प्र0)

जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला सभा (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति चेलिङ

मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 04.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा चेलिङ की बैठक आज दिनांक

..... 04.01.2018 को 11:00 बजे स्थान चेलिङ में श्री/ श्रीमति डॉ. हर सिंह

..... की अध्यक्षता में की गई। जिसमें चेलिङ ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत चेलिङ

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कलिक विनवेर 2 प्राईवेट लिफ्टिंग विभाग/संस्था

..... गेल विद्युत परियोजना गेल इरुवई रेखा -1 के निर्माण के लिए

0.5734 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	 <u>चेलिङ</u>	 <u>चेलिङ</u>	 <u>मुहाल चेलिङ</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

..... चेलिङ मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

..... गुलामाई

स्थान चेलिङ

प्रधान गुलामाई
सचिव गुलामाई
ग्राम पंचायत गुलामाई
वन अधिकार समिति गुलामाई
त० पधर जिला मण्डल हि०प्र०
मुहाल सभा -
ग्राम पंचायत -

दिनांक 04.01.2018

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दाबे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

..... गुलामाई
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डल (हि०प्र०)

..... गुलामाई
अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डल जिला मण्डल (हि० प्र.)

FORM II
(for projects other than linear projects)
Government Of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. MND/LRC/2018

Dated Mandi, the 07.09.2018

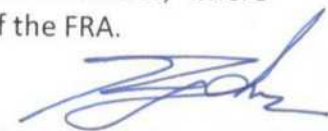
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **1.4500 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Cliff Finvest Pvt. Ltd. Faridabad for the purpose of Thaltukhod HEP Stage 1** in Mandi District falls within jurisdiction of muhal Dhamchayan, in Tehsil Padhar.

It is further certified that:

- (a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4500 Hectare of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The proposal of such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA has been carried out, and They have given their consent to the proposed Diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabhas of said Tehsils are enclosed as annexure V.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there is quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabha present.
- (e) There is no PTG and PAC in the jurisdiction of Mandi District.
- (f) The Rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable has been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above.


(Rugved Thakur, I.A.S)
District Collector,
Mandi Distt. Mandi

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Dhamchyan Gram Sabha, claiming rights in Dhamchyan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Dhamchyan & DPA Dhamchyan Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

OR

As informed by Dhamchyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Dhamchyan forest area.

Place PadharDate 06-12-16

[Signature]
SDO (Civil) - Chairman/Chairperson
District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

[Signature]

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

[Signature]

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Dhamchyan ^{DPA Dhamchyan} Gram Sabha, claiming rights in Dhamchyan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Dhamchyan ^{DPA Dhamchyan} Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Dhamchyan ^{DPA Dhamchyan} Gram Sabha, no application was received claiming rights in Dhamchyan forest area.

Place PadharDate 06-12-16

SDO (Civil) - Chairman/Chairperson
District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Athul

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)
h

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Dhamchyan Gram Sabha, claiming rights in Dhamchyan forest area under FRA,2006, duly processed and recommended by the Dhamchyan & DPA Dhamchyan Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

OR

As informed by Dhamchyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Dhamchyan forest area.

Place PadharDate 06-12-16

[Signature]
SDO (Civil) - chairman/chairperson
District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Atli

जति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Dhamchyan Gram Sabha, claiming rights in Dhamchyan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Dhamchyan & DPA Dhamchyan Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Dhamchyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Dhamchyan forest area.

Place PadharDate 06-12-16

[Signature]
SDO (CIVIL) - Chairman/Chairperson
District Mandi, H.P.

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Atkhl

to
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

4

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Dhamchyan Gram Sabha, claiming rights in Dhamchyan forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Dhamchyan & DPA Dhamchyan Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

OR

As informed by Dhamchyan Gram Sabha, no application was received claiming rights in Dhamchyan forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Dr. Ashish Sharma
SDO (Civil) - chairman/chairperson
District Mandi (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Dr. Ashish Sharma

बति० जिला दण्डाधिकारी
जिला मण्डो (हि प्र)

a

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समितिदामच्योठा.....

मुहाल/ग्राम सभादामच्योठा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक07.01.2018.....

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभादामच्योठा..... की बैठक आज दिनांक 07.01.2018 को 11:00 बजे स्थानदामच्योठा..... में श्री/ श्रीमतिपुररतु राई.....

की अध्यक्षता में की गई। जिसमेंदामच्योठा..... ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गतदामच्योठा.....

जंगल / वन क्षेत्र जिसमेंकलिका फिनिक्सर आईवर लि. पारिकुण्ड विभाग / संस्था.....

.....वन विद्युत परियोजना शल्लूरबाई रेलेट - 1..... के निर्माण के लिए

1.45.00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	 <u>दामच्योठा</u>	 <u>दामच्योठा</u>	 <u>मुहाल दामच्योठा</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है
या

.....दामच्योठा..... मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थानदामच्योठा.....

दिनांक07.01.2018.....

.....पुररतु राई.....
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति मुहाल दामच्योठा
मुहाल दामच्योठा जिला मुम्बई दि० प्र०
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

.....पुररतु राई.....
नियमित सचिव
ग्राम पंचायत दामच्योठा
दि० प्र० दंग, त० पधर
मुम्बई (दि० प्र०)

.....पुररतु राई.....
वति० जिला दण्डाधिकारी
मुम्बई जिला मुम्बई (दि० प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - ८३५२५०१

ग्राम पंचायत - ८३५२५०१

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 140

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 270

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक ०७.०१.२०१८

मुहाल/ग्राम सभा --- ८३५२५०१ --- की बैठक आज दिनांक ०७.०१.२०१८ को ११:०० बजे स्थान --- ८३५२५०१ --- में श्री/ श्रीमति --- सुरेश सहाय --- की अध्यक्षता में की गई। जिसमें --- ८३५२५०१ --- गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें ८३५२५०१ विभाग/संस्था वाल विस्तृत क्षेत्र में २.२५०१ हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०व०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	८३५२५०१	८३५२५०१	८३५२५०१

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०स०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल --- ८३५२५०१ --- में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान --- ८३५२५०१ ---

दिनांक --- ०७.०१.२०१८ ---

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० बंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० बंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत जमरगाँव

विकास खण्ड डुंड़ा जिला अठरा हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 07.01.2018

प्रस्ताव संख्या 1

गणपूर्ति : 140/270

विषय : कलिका विनोद उद्देश्य लि. करिदाबाद विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना शल्लू रीट-1 के निर्माण हेतु जमरगाँव
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा जमरगाँव की बैठक आज दिनांक 07.01.18
को 11.00 बजे, स्थान जमरगाँव में की गई, जिसमें कलिका विनोद उद्देश्य लि.
करिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्लू रीट-1
रीट-1 के निर्माण हेतु जमरगाँव जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि को कलिका विनोद उद्देश्य लि.
करिदाबाद विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्लू रीट-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा जमरगाँव की सहमति दी जाती है।

स्थान जमरगाँव

दिनांक 07.01.2018

पुष्कराम
अधिकृत, हस्ताक्षरकर्ता

मुहाल/ग्राम सभा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
लि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

बति0 जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समितिदमच्योठा.....

मुहाल/ग्राम सभादमच्योठा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक07.01.2018.....

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभादमच्योठा..... की बैठक आज दिनांक

07.01.2018 को11:00 बजे स्थानदमच्योठा..... में श्री/ श्रीमतिपुरखू राई.....

की अध्यक्षता में की गई। जिसमेंदमच्योठा..... ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गतदमच्योठा.....

जंगल / वन क्षेत्र जिसमेंकलिका फिनिविरर आईर सि. पारीवाक विभाग / संस्था.....

.....जेल विद्युत परियोजना शलदुरवाड रोड - 1..... के निर्माण के लिए

1,45.00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र0स0	* पात्र मुहाल/गांव वासी का-नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>दमच्योठा</u>	<u>दमच्योठा</u>	<u>मुहाल दमच्योठा</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0स0	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है
या

.....दमच्योठा..... मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थानदमच्योठा.....

.....पुरखू राई.....
अधिकारी हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति मुहाल दमच्योठा
मुहालदमच्योठा..... जिला मण्डो दि0प्र0
ग्राम पंचायत -

दिनांक07.01.2018.....

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

.....पुरखू राई.....
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दमच्योठा
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डो (हि0प्र0)

.....Atish.....
अति० जिना दफ्तरी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - ८७५२५०१

ग्राम पंचायत - ८७५२५०१

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 140

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 270

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक ०७.०१.२०१८

मुहाल/ग्राम सभा --- ८७५२५०१ --- की बैठक आज दिनांक ०७.०१.२०१८ को --- 11:00 --- बजे स्थान --- ८७५२५०१ --- में श्री/ श्रीमति --- सुरेश्वर --- की अध्यक्षता में की गई। जिसमें --- ८७५२५०१ --- गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें --- ८७५२५०१ --- फिनवेर २ प्राइवेट लि. पारिवारिक विभाग/संस्था माल विद्युत परियोजना २००८ ई. के निर्माण के लिए 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०व०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	८७५२५०१	८७५२५०१	मुहाल ८७५२५०१

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०स०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल --- ८७५२५०१ --- में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान --- ८७५२५०१ ---

दिनांक --- ०७.०१.२०१८ ---

(M. D.)
(पंचायत समिति एव सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(M. D.)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

(M. D.)

बति० जिला दंडाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत दामरवाडी

विकास खण्ड डुंडा जिला मण्डी हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 07.01.2018

प्रस्ताव संख्या 1

गणपूर्ति : 140/270

विषय : कलिका विनोद उद्देव लि. करिदावाडी विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना गल्लू रिवर स्टेशन-1 के निर्माण हेतु दामरवाडी
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति
प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा दामरवाडी की बैठक आज दिनांक 07.01.18
को 11:00 बजे, स्थान दामरवाडी में की गई, जिसमें कलिका विनोद उद्देव लि.
करिदावाडी विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना गल्लू रिवर
स्टेशन-1 के निर्माण हेतु दामरवाडी जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों
को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त
प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही
है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि को कलिका विनोद उद्देव लि.
करिदावाडी विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना गल्लू रिवर के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम
सभा दामरवाडी की सहमति दी जाती है।

स्थान दामरवाडी

दिनांक 07.01.2018

पुस्तुराम
अधिकृत, हस्ताक्षरकर्ता

मुहाल/ग्राम सभा
तहसील पधर जिला मण्डी हि0प्र0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमव्याण
वि0ख0 दंग, तह पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

वति0 जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
 मुहाल/ग्राम सभा
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 07.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक

07.01.2018 को 11:00 बजे स्थान में श्री/ श्रीमति की अध्यक्षता में की गई। जिसमें

..... ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें विभाग / संस्था

..... के निर्माण के लिए

1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्योरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1			
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
 उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

..... मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान
 दिनांक
 * ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
 ** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

.....
 अधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता
 वन अधिकार समिति
 मुहाल/ग्राम सभा
 ग्राम पंचायत -

.....
 जिला दण्डाधिकारी
 मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

.....
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत धमक्याण
 धि०ख० दंग, त०
 जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - ~~बजरा~~ 22/01/01ग्राम पंचायत - ~~बजरा~~ 22/01/01

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 140

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 270

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 07.01.2018

मुहाल/ग्राम सभा --- ~~बजरा~~ 22/01/01 --- की बैठक आज दिनांक 07.01.2018 को 11.00 बजे स्थान --- ~~बजरा~~ 22/01/01 --- में श्री/ श्रीमति --- ~~पुस्तक~~ सभा --- की अध्यक्षता में की गई। जिसमें --- ~~बजरा~~ 22/01/01 --- गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें ~~कै.लि.कै.~~ ~~फिनवे.र.2.ग्रा.बजरा.लि.पारिवारिक~~ विभाग/संस्था ~~मल विद्युत परियोजना~~ ~~गाम्पुरा~~ * ~~2.2.2.1~~ के निर्माण के लिए 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र0व0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	बजरा 22/01/01	बजरा 22/01/01	मुहाल बजरा 22/01/01

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

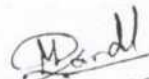
क्र0स0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल --- ~~बजरा~~ 22/01/01 --- में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

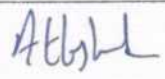
स्थान --- ~~बजरा~~ 22/01/01 ---

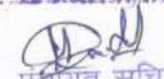
दिनांक --- 07.01.2018 ---


(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डो (हि0प्र0)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।


वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)


पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डो (हि0प्र0)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत दामट्याठा

विकास खण्ड डुंडा जिला मण्डी हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 07.01.2018

प्रस्ताव संख्या 1

गणपूर्ति : 140/270

विषय : कलिका फिनिक्स प्राइवेट लि. करिदावादा विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना शल्लू रिवर स्टेशन-1 के निर्माण हेतु दामट्याठा

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा दामट्याठा की बैठक आज दिनांक 07.01.18

को 11:00 बजे, स्थान दामट्याठा में की गई, जिसमें कलिका फिनिक्स प्राइवेट लि.

करिदावादा विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्लू रिवर

स्टेशन-1 के निर्माण हेतु दामट्याठा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि को कलिका फिनिक्स प्राइवेट लि.

करिदावादा विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्लू रिवर के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम

सभा दामट्याठा की सहमति दी जाती है।

स्थान दामट्याठा

दिनांक 07.01.2018

पुश्कुराम
अधिकृत, हस्ताक्षरकर्ता

मुहाल/ग्राम सभा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0ख0 दंग, त0 पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

Atul

बति0 जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समितिदामच्याठा.....

मुहाल/ग्राम सभादामच्याठा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक07.01.2018.....

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभादामच्याठा..... की बैठक आज दिनांक

07.01.2018 को11.00 बजे स्थानदामच्याठा..... में श्री/श्रीमतिपुस्तक राग.....

की अध्यक्षता में की गई। जिसमेंदामच्याठा..... ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गतदामच्याठा.....

जंगल / वन क्षेत्र जिसमेंकालिका किनवरेर प्राईवर सि. पारीकावड विभाग/संस्था

.....जल विद्युत परियोजना शलपुरवाड रेल - 1..... के निर्माण के लिए

1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०स०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	 <u>दामच्याठा</u>	 <u>दामच्याठा</u>	 <u>मुहाल दामच्याठा</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

.....दामच्याठा..... मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थानदामच्याठा.....

.....पुस्तक राग.....
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति मुहाल दामच्याठा
मुहालदामच्याठा.....
ग्राम पंचायत -

दिनांक07.01.2018.....

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

.....पुस्तक राग.....
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दामच्याठा
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

.....पुस्तक राग.....
अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - बजराग्राम पंचायत - बजरा

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 140

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 270

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 07.01.2018

मुहाल/ग्राम सभा बजरा की बैठक आज दिनांक 07.01.2018 को 11:00 बजे स्थान बजरा में श्री/ श्रीमति पुरखू सेठ की अध्यक्षता में की गई। जिसमें बजरा गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कैलिक फिनोलेस 2 प्राइवेट लि. परिसर का विभाग/संस्था वाल विद्युत परियोजना शालू रोड* रैलवे - 1 के निर्माण के लिए 1.4500 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र0व0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>बजरा</u>	<u>बजरा</u>	<u>बजरा</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0स0	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल बजरा में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बजरादिनांक 07.01.2018

M. K. D.
(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत बजरा
वि0ख0 बजरा त0 पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

M. K. D.
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बजरा
वि0ख0 बजरा त0 पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

Atul
अति० जिला दफ्तरी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत दामटगाँव

विकास खण्ड डूँडा जिला मण्डी हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 07.01.2018

प्रस्ताव संख्या 1

गणपूर्ति : 140/270

विषय : कलिक किनैर उद्देख सि० करिदावाँद विभाग/संस्था
जल विद्युत परिश्रितना गल्लु र्खेद र्खेद-1 के निर्माण हेतु दामटगाँव
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा दामटगाँव की बैठक आज दिनांक 07.01.18
को 11:00 बजे, स्थान दामटगाँव में की गई, जिसमें कलिक किनैर उद्देख सि०
करिदावाँद विभाग/संस्था को जल विद्युत परिश्रितना गल्लु र्खेद र्खेद-1
के निर्माण हेतु दामटगाँव जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.4500
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.4500 हैक्टेयर वन भूमि को कलिक किनैर उद्देख सि०
करिदावाँद विभाग/संस्था को जल विद्युत परिश्रितना गल्लु र्खेद र्खेद-1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा दामटगाँव की सहमति दी जाती है।

स्थान दामटगाँव

दिनांक 07.01.2018

पुश्कुराम
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुहाल/ग्राम सभा
डूँडा पधर जिला मण्डी हि०प्र०

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

दति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डो (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति दमरियाठा

मुहाल/ग्राम सभा दमरियाठा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 07.01.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा दमरियाठा की बैठक आज दिनांक

07.01.2018 को 11.00 बजे स्थान दमरियाठा में श्री/ श्रीमति पुनरत्न राई

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें दमरियाठा ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दमरियाठा

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कालिका किनवरेर प्राईवर सि. पारीवाक विभाग / संस्था

जल विद्युत परियोजना शलपुरवाँद रेखा - 1 के निर्माण के लिए

1.45.00 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम

वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार

सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्योरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1	<u>दमरियाठा</u>	<u>दमरियाठा</u>	<u>मुहाल दमरियाठा</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है
उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है
या

दमरियाठा मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान दमरियाठा

दिनांक 07.01.2018

पुनरत्न राई
अधिकार प्रस्तावकर्ता
वन अधिकार समिति मुहाल दमरियाठा
मुहाल दमरियाठा जिला मण्डी दि० 07.01.2018
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पुनरत्न राई
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दमरियाठा
वि० ख० द्रंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि० प्र०)

पुनरत्न राई
वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि० प्र०)

मुहाल - ८०५, ८२१/०१

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 140

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 270

प्रस्ताव संख्या ३

दिनांक ०७.०१.२०१८

मुहाल/ग्राम सभा --- दामाचमाल --- की बैठक आज दिनांक 07-01-2018
को 11-00 बजे स्थान दामाचमाल में श्री/श्रीमति गुरमुख राय की
अध्यक्षता में की गई। जिसमें दामाचमाल गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन
निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें के.लिफ.
फिन्नेर 2 प्राइवेट लि. फरीदाबाद विभाग/संस्था वाल विहुपर रिजि नन शल्हू खा*
२३८ - 1 के निर्माण के लिए 1.4500 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा
नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०व०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	पिंजरावा	पिंजरावा	अट्टल पिंजरावा

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र0स0	पात्र मुहाल / गांव वासी का नाम
--------	--------------------------------

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल ~~65/110~~ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान दुमरावा

दिनांक - 07-01-2018 -

(पञ्चायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पञ्चायत धनगुण
वि०ख० देग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।


पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० ब्रंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत दामच्यो

विकास खण्ड डुंडा जिला मण्डो हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक ०७.०१.२०१८

प्रस्ताव संख्या १

गणपूर्ति : १५०/२७०

विषय : कलिका फिनिक्स प्राइवेट लि० करिदावादे विभाग/संस्था
जल विद्युत परियोजना गल्लू रीटर्न-१ के निर्माण हेतु दामच्यो
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित १.५५०० हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा दामच्यो की बैठक आज दिनांक ०७.०१.१८
को ११:०० बजे, स्थान दामच्यो में की गई, जिसमें कलिका फिनिक्स प्राइवेट लि०
करिदावादे विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना गल्लू रीटर्न-१
रीटर्न-१ के निर्माण हेतु दामच्यो जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित १.५५००
हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित १.५५०० हैक्टेयर वन भूमि को कलिका फिनिक्स प्राइवेट लि०
करिदावादे विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना गल्लू रीटर्न-१ के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा दामच्यो की सहमति दी जाती है।

स्थान दामच्यो

दिनांक ०७.०१.२०१८

पुस्तुराम
अधिकृत, हस्ताक्षरकर्ता
मुहाल/ग्राम सभा
त० पधर जिला मण्डो हि०प्र०

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
त० पधर जिला मण्डो (हि०प्र०)

Atish
अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

FORM II
(for projects other than linear projects)
Government Of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. MND/LRC/2018

Dated Mandi, the 07.09.2018

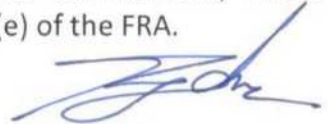
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **1.1152 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Cliff Finvest Pvt. Ltd. Faridabad for the purpose of Thaltukhod HEP Stage 1** in Mandi District falls within jurisdiction of muhal Graman, in Tehsil Padhar.

It is further certified that:

- (a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 1.1152 Hectare** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The proposal of such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA has been carried out, and They have given their consent to the proposed Diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabhas of said Tehsils are enclosed as annexure V.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there is quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabha present.
- (e) There is no PTG and PAC in the jurisdiction of Mandi District.
- (f) The Rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable has been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above.


(Rugved Thakur, I.A.S)
District Collector,
Mandi Distt. Mandi

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in _____ which the application(S) of the applicants of Graman & DPA Graman Gram Sabha, claiming rights in Graman & DPA Graman forest area under FRA,2006, duly processed and recommended by the Graman & DPA Graman

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

OR

As informed by Graman & DPA Graman Gram Sabha, no application was received claiming rights in Graman & DPA Graman forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
 SDO (Civil), chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Attest

बति. जिला दण्डाधिकारी
 मण्डो जिला मण्डो (दिव)

h

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in _____ which the application(S) of the applicants of Graman & DPA Graman Gram Sabha, claiming rights in Graman & DPA Graman forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Graman & DPA Graman

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

OR

As informed by Graman & DPA Graman Gram Sabha, no application was received claiming rights in Graman & DPA Graman forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
SDO (Civil) chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

ASHISH

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Graman 8 DPA Graman Gram Sabha, claiming rights in Graman 8 DPA Graman forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Graman 8 DPA Graman

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

OR

As informed by Graman 8 DPA Graman Gram Sabha, no application was received claiming rights in Graman 8 DPA Graman forest area.

Place Padhar

Date 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
SDO (Civil) chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Ashish

वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in which the application(S) of the applicants of Graman & DPA Graman Gram Sabha, claiming rights in Graman & DPA Graman forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Graman & DPA Graman

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	--------------------	----------------	------------------------

1.

2.

OR

As informed by Graman & DPA Graman Gram Sabha, no application was received claiming rights in Graman & DPA Graman forest area.

Place PadharDate 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
*SDO (Civil) chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Attyhl

मति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (दि.प्र.)

L

OFFICE OF SDO (CIVIL) PADHAR, _____

DISTRICT MANDI _____ (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub- Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constitute under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Dr. Ashish Sharma (HAS) _____ SDO(Civil) Padhar _____ on 06-12-2016 _____ at 2 pm _____ at Sub. Div. office padhar _____ (Place) in _____ which the application(S) of the applicants of Graman 8 DPA Graman Gram Sabha, claiming rights in Graman 8 DPA Graman forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Graman 8 DPA Graman

Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	—	—	—
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

OR

As informed by Graman 8 DPA Graman Gram Sabha, no application was received claiming rights in Graman 8 DPA Graman forest area.

Place Padhar

Date 06-12-16

Sub-Divisional Officer (Civil)
*SDO (Civil) chairman/chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Ashish

नति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)

h

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ग्रामाग

मुहाल/ग्राम सभा ग्रामाग

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 09.02.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक

को 11:00 बजे स्थान ग्रामाग में श्री/श्रीमति मि. र. राय

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ग्रामाग ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्रामाग

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कालिका कान्तेर 2 ग्रामाग सि. कान्तेर 10/10 विभाग/संस्था

नल विद्युत परियोजना** ग्रामाग स्टेशन - 1 के निर्माण के लिए

1.152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>ग्रामाग</u>	<u>ग्रामाग</u>	<u>मुहाल ग्रामाग</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है या

ग्रामाग मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्रामाग

दिनांक 09.02.2018

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति मुहाल ग्रामाग
मुख्य सचिव
ग्रामाग जिला मण्डी हि०प्र०

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - ब्रामण

ग्राम पंचायत - ब्रामण

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 182

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 95

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 09.02.2018

प्रस्ताव संख्या 1

मुहाल/ग्राम सभा ब्रामण की बैठक आज दिनांक 09.02.2018 को 11:00 बजे स्थान ब्रामण में श्री/ श्रीमति अदराम की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ब्रामण गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें ब्रामण जिला दण्डाधिकारी विभाग/संस्था जिला दण्डाधिकारी ब्रामण के निर्माण के लिए 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की

मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवेदों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	<u>ब्रामण</u>	<u>ब्रामण</u>	<u>मुहाल ब्रामण</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल ब्रामण में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ब्रामण

दिनांक 09.02.2018

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
बि०२३० बंग, त० पधर
जिला मण्डल (बि०२३०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अदराम

जिला दण्डाधिकारी
मण्डल जिला मण्डल (बि०२३०)

अदराम

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
बि०२३० बंग, त० पधर
जिला मण्डल (बि०२३०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत ७५२२५०१

विकास खण्ड डोंग जिला मण्डो हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक ०९.०२.२०१८

प्रस्ताव संख्या २

गणपूर्ति : ९५ / १८२

विषय : तालिका फिनिटेड आइलेट लि० पुरिदावादा विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना शल्दुखेड रिज - १ के निर्माण हेतु आशुन

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित १.११.५२ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा आशुन की बैठक आज दिनांक

को ११:०० बजे, स्थान आशुन में की गई, जिसमें तालिका फिनिटेड आइलेट लि०

पुरिदावादा विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्दुखेड रिज - १

के निर्माण हेतु आशुन जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित १.११.५२

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित १.११.५२ हैक्टेयर वन भूमि को तालिका फिनिटेड आइलेट लि०

पुरिदावादा विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्दुखेड रिज - १ के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा आशुन की सहमति दी जाती है।

स्थान आशुन

दिनांक ०९.०२.२०१८

१३२
अधिकृत हस्ताक्षर मुहाल ग्रामण
बनाधिकार सचिव
मुहाल ग्रामण
१० पधर जिला मण्डो हि०प्र०

अहमद
बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि.प्र.)
L

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०प्र० दंग, त० पधर
हि०प्र० (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ग्राम

मुहाल/ग्राम सभा ग्राम

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 09.02.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक

को 11:00 बजे स्थान ग्राम में श्री/श्रीमति अरुण

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें जलियाँ कितने-2 गुल्ले सि. फरिदाबाद विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना** ग्रुट रोज़री - 1 के निर्माण के लिए

1.152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	ग्राम	ग्राम	मुहाल ग्राम
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

ग्राम मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्राम

दिनांक 09.02.2018

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति मुहाल ग्राम
मुहाल सभा
ग्राम पंचायत -

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डो (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डो (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
मुहाल - ग्राम
ग्राम पंचायत - लाम्ना
मुहाल सभा सदस्य संख्या - 182
सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 95

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 09.02.2018

प्रस्ताव संख्या 1

मुहाल/ग्राम सभा ग्राम की बैठक आज दिनांक को 11-02-2018 बजे स्थान ग्राम में श्री/ श्रीमति श्री राम की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ग्राम गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें लिखित प्रस्तावित वन परीक्षा विभाग/संस्था जल विभाग परीक्षा ग्राम में के निर्माण के लिए 1.11.52 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवे का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	ग्राम	ग्राम	मुहाल ग्राम

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल ग्राम में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्राम

दिनांक 09.02.2018

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
ग्राम मण्डी (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

वति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत 09.02.2018

विकास खण्ड जिला हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 09.02.2018

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 95 / 182

विषय : कालिका फिनिशर प्राइवेट लि० परिसरों के निर्माण हेतु आग्रह विभाग/संस्था

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक को 11.00 बजे, स्थान में की गई, जिसमें कालिका फिनिशर प्राइवेट लि० परिसरों के निर्माण हेतु आग्रह विभाग/संस्था को जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिशर प्राइवेट लि० परिसरों के निर्माण हेतु आग्रह विभाग/संस्था को जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिशर प्राइवेट लि० परिसरों के निर्माण हेतु आग्रह विभाग/संस्था को जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

स्थान 09.02.2018

दिनांक 09.02.2018

अग्रह विभाग/संस्था को जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पथर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ग्राम/गाँव

मुहाल/ग्राम सभा ग्राम/गाँव

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 09.02.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक

को 11:00 बजे स्थान ग्राम/गाँव में श्री/श्रीमति मि. र. म.

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम/गाँव

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें विभाग/संस्था

के निर्माण के लिए

1.152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	ग्राम/गाँव	ग्राम/गाँव	मुहाल ग्राम/गाँव
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

ग्राम/गाँव मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्राम/गाँव

दिनांक 09.02.2018

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति
मुख्य सचिव
ग्राम/गाँव जिला मण्डी हि०प्र०

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रॉजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - ब्रामण

ग्राम पंचायत - ब्रामण

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 182

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 95

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या1.....

दिनांक 09.02.2018

मुहाल/ग्राम सभा ब्रामण की बैठक आज दिनांक 09.02.2018 को 11:00 बजे स्थान ब्रामण में श्री/श्रीमति अरुण की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ब्रामण गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें मलिक विनोद प्रसाद सिंह परियार विभाग/संस्था वन विस्तृत परियोजना प्रकल्प ** स्टेज - 1 के निर्माण के लिए 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवेदों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	<u>ब्रामण</u>	<u>ब्रामण</u>	<u>मुहाल ब्रामण</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल ब्रामण में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ब्रामण

दिनांक 09.02.2018

(अरुण पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
मुहाल सभा
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अरुण
जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

अरुण
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत 09/02/2018

विकास खण्ड डुंग जिला मण्डो हि0प्र0

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 09.02.2018

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 95 / 182

विषय : कालिका फिनिशर प्राइवेट लि0 करिदावाड विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना शल्दुरवेड रिज - 1 के निर्माण हेतु ग्राम

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.1152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा ग्राम की बैठक आज दिनांक

को 11:00 बजे, स्थान ग्राम में की गई, जिसमें कालिका फिनिशर प्राइवेट लि0

करिदावाड विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्दुरवेड रिज - 1

के निर्माण हेतु ग्राम जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.1152

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.1152 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिशर प्राइवेट लि0

करिदावाड विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्दुरवेड रिज - 1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम की सहमति दी जाती है।

स्थान ग्राम

दिनांक 09.02.2018

अभिमत हस्ताक्षर मुहाल ग्राम
बनाधिकार सचिव
मुहाल ग्राम
त0 पधर जिला मण्डो हि0प्र0

बति0 जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि0खड0 दंग, त0 पधर
जिला मण्ड (हि0प्र0)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ग्रामा

मुहाल/ग्राम सभा ग्रामा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 09.02.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक

को 11:00 बजे स्थान ग्रामा में श्री/ श्रीमति भेद 21

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ग्रामा ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्रामा

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें तालिका किनारे 2 ग्रामा लि. अश्विदावा विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना** ग्रामा रीट - 1 के निर्माण के लिए

1.152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>ग्रामा</u>	<u>ग्रामा</u>	<u>मुहाल ग्रामा</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

ग्रामा मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्रामा

दिनांक 09.02.2018

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति
मुख्य सचिव
ग्रामा पंचायत -
जिला मण्डी हि०प्र०

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Atul

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - ग्राम

ग्राम पंचायत - ग्राम

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 182

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 95

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 09.02.2018

प्रस्ताव संख्या 1

मुहाल/ग्राम सभा ग्राम की बैठक आज दिनांक को 11.02.18 बजे स्थान ग्राम में श्री/श्रीमति अरुण की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ग्राम गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें ग्राम निवासी अरुण विभाग/संस्था ग्राम निवासी के निर्माण के लिए 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की

मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवेदों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	ग्राम	ग्राम	मुहाल ग्राम

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल ग्राम में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्राम

दिनांक 09.02.2018

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धर्मचरण
मुहाल सभा
वि०ख० दंग, त० पधर
ग्राम (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अरुण

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डो जिला मण्डो (हि०प्र०)

अरुण

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धर्मचरण
वि०ख० दंग, त० पधर
ग्राम (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत ७७२२५०१

विकास खण्ड डूंग जिला मण्डी हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 09.02.2018

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 95 / 182

विषय : कालिका फिन्नेरर प्राइवेट लि० कारिदावाड़ विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना शल्दुरेह रीत - 1 के निर्माण हेतु २१२७

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.1152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा २१२७ की बैठक आज दिनांक

को 11.00 बजे, स्थान २१२७ में की गई, जिसमें कालिका फिन्नेरर प्राइवेट लि०

कारिदावाड़ विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्दुरेह

रीत - 1 के निर्माण हेतु २१२७ जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.1152

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.1152 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिन्नेरर प्राइवेट लि०

कारिदावाड़ विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना शल्दुरेह रीत - 1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा २१२७ की सहमति दी जाती है।

स्थान २१२७

दिनांक 09.02.2018

२१२७
राज्य
अभिमत हस्ताक्षर मुहाल/ग्राम
बनाधिकार सचिव
मुहाल/ग्राम सभा
त० पधर जिला मण्डी हि०प्र०

Atul

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि.प्र.)

✓

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
दि०ख० दंग, त० पधर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति ग्रामा

मुहाल/ग्राम सभा ग्रामा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 09.02.2018

वन अधिकार समिति मुहाल/ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक

को 11:00 बजे स्थान ग्रामा में श्री/श्रीमति मि. रम

की अध्यक्षता में की गई। जिसमें ग्रामा ग्राम / मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्रामा

जंगल / वन क्षेत्र जिसमें कालिका फिन्टेस 2 ग्रामा लि. फरिदाबाद विभाग/संस्था

सह विद्युत परियोजना** ग्रामा रीट - 1 के निर्माण के लिए

1.152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए मुहाल/ग्राम वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों को नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही दावों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>ग्रामा</u>	<u>ग्रामा</u>	<u>मुहाल ग्रामा</u>
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति दावे/इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से सफारिश करती है उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सफारिश करती है

या

ग्रामा मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्रामा

दिनांक 09.02.2018

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति मुहाल ग्रामा
मुख्य सचिव
ग्रामा पंचायत

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि प्र)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
मण्डी जिला मण्डी (हि प्र)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल - 31/201

ग्राम पंचायत - 12/2010

मुहाल सभा सदस्य संख्या - 182

सभा में उपस्थित सदस्य संख्या - 95

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 09.02.2018

मुहाल/ग्राम सभा --- ग्राम --- की बैठक आज दिनांक ---
को --- 11.00 --- बजे स्थान --- ग्राम --- में श्री/ श्रीमति --- अरुण --- की
अध्यक्षता में की गई। जिसमें --- ग्राम --- गांव के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन
निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल / वन क्षेत्र जिसमें ---
विशेष प्रकृति परीक्षण विभाग/संस्था --- ग्राम --- **
--- 1 --- के निर्माण के लिए 1.11.52 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए इस मुहाल/ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा
नियमानुसार सही पाया गया :-

कुल प्राप्त आवेदन

सही आवेदों का ब्यौरा :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
	ग्राम	ग्राम	मुहाल ग्राम

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	पात्र मुहाल/गांव वासी का नाम

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल --- ग्राम --- में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान --- ग्राम ---

दिनांक --- 09.02.2018 ---

(पंचायत सचिव एवं सहायक)
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
ग्राम --- (हि०प्र०)

* ग्राम वासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अति० जिला दण्डाधिकारी
मुख्य जिला दण्डो (हि प्र)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०ख० दंग, त० पधर
ग्राम --- (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत आश्विन

विकास खण्ड डूंग जिला मण्डी हि०प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 09.02.2018

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति : 95 / 182

विषय : कालिका फिनिटेड प्राइवेट लि० परिसरावाड विभाग/संस्था

जल विद्युत परियोजना अल्डुरवेड रिज - 1 के निर्माण हेतु आश्विन

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.1152 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

मुहाल/ग्राम सभा आश्विन की बैठक आज दिनांक

को 11:00 बजे, स्थान आश्विन में की गई, जिसमें कालिका फिनिटेड प्राइवेट लि०

परिसरावाड विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्डुरवेड रिज - 1

के निर्माण हेतु आश्विन जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.1152

हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी मुहाल/ग्राम वासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह मुहाल/ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। मुहाल/ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों निपटारों संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.1152 हैक्टेयर वन भूमि को कालिका फिनिटेड प्राइवेट लि०

परिसरावाड विभाग/संस्था को जल विद्युत परियोजना अल्डुरवेड रिज - 1 के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा आश्विन की सहमति दी जाती है।

स्थान आश्विन

दिनांक 09.02.2018

रवि
अभिमत हस्ताक्षर मुहाल ग्रामपंचायत
बनाधिकार सचिव
मुहाल विकास
तः पंथर जिला मण्डी हि०प्र०

रवि
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धमच्याण
वि०प्र० डूंग, तः पंथर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

रवि
बति० जिला दण्डाधिकारी
मण्डी जिला मण्डी (हि०प्र०)